तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमचन्द बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी औसियां) **सू.अ.अ. अपील संख्या 38 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.03.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमचन्द पुत्र चेतनराम मेघवाल सा. चाडी हाल वार्ड नं.–1, अनूपगढ जिला गंगानगर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.10.2019 में उसके द्वारा (1) धारा 183बी के अन्कतर्गत हरिजन की भूमि चेतनराम पुत्र खेताराम की भूमि पर स्वर्ण जाति रूपाराम वगैरा, बीजा व नारायण वगैरा लालू कुम्हार सा0 चाडी पर दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2019 में की गई कार्यवाही की नकलं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी औसियां) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	